ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00145

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 17/2017

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. गगन पुत्र काहन चन्द 2. कश्मीरी लाल पुत्र गुरूदासराम अग्रवाल मै. पवन स्वीट हाउस, अग्रवाल सभा रोड, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 15.11.2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 03'03.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 27.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानवृित दिनांक 31.05.2016) दिनांक 03.03.2016 को दोपहर 3:10 पी.एम. पर फर्म मै. पवन स्वीट हाउस, अग्रवाल सभा रोड, पमदपुर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पवन स्वीट हाउस, पदमपुर पर श्री गागन पुत्र काहनचंद निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को गुलाब जामुन बेच रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ गुलाबजामुन के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

में स्टील बॉक्स में रखे लगभग 30 कि.ग्रा. गुलाब जामुन को हिला मिलाकर एकरूप किया एवं एकरूप किये हुए गुलाबजामुन में से 2 किलोग्राम गुलाबजामुन एक साफ एवं खाली भिगोने में खरीदे, गुलाबजामुन की कीमत 400/– रूपये अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों का चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के जार में दिखाए, लेबल एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा गुलाबजामुन को चार प्लास्टिक के जारों में बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक जार में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली एवं चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–681 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता छगनलाल बजाज ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/582/एक्ट/2016/1363 दिनांक 04.04.2016 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–681 गुलाब जामुन **अमानक स्तर** (Sub Standard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री गगन पुत्र काहन चंद एवं कश्मीरीलाल पुत्र गुरूदासराम अग्रवाल पदमपुर मै. पवन स्वीट हाउस, पमदपुर द्वारा अमानक स्तर गुलाबजामुन का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस गुलाबजामुन का नमूना जांच हेतु लिया था वह उनके द्वारा वनस्पति में तैयार किया गया था। भविष्य में वे अच्छी किस्म की सामग्री का इस्तेमाल कर मिठाईयां बनाने में करेगें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गुलाबजामुन बनाने के दौरान कोई गलती रह गई है उसे अभियुक्त ने स्वीकार किया है। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गुलाबजामुन(Gulab Jamun(Made in Ghee)) सैम्पल के–681 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 582 / एक्ट / 2016 / 1363 दिनांक 04.04.2016 द्वारा **सब स्टैण्डर्ड** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01– B.R.Reading of extracted fat at 40°C = 46 पाया गया जबकि B.R.Reading of extracted fat at 40°C – 41.0 to 444.0 होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि भविष्य में वे अच्छी किस्म की सामग्री का इस्तेमाल मिठाईयां बनाने में करेगें। भविष्य में गुलाबजामुन के लिए काम में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया गुलाबजामुन Sample of "Gulab Jamun (Made in Ghee" bearing Code No. and Sr. No. K-681 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Substandard** as it is does not meet to the prescribed provisions as per Food Fafety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 3,000–00 (अखरे रूपये तीन हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में गुलाबजामुन बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर